राजस्थान सरकार
विधि एवं विधिक कार्य विभाग

कमांक 20(478) न्याय/2016 **जयपुर दिनांक** 9 DEC 20..

:: आदेश ::

नोटेरी अधिनियम, 1952 (1952 का केन्द्रीय अधिनियम सं, 53) की धारा 3 सपठित धारा 6 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार जिला टोंक, उनियारा क्षेत्र के लिए श्री रामकिशन माली, अधिवक्ता को एतदद्वारा नोटेरी नियुक्त करती है।

उक्त नियुक्ति निर्धारित शुल्क रूपये 2,000/–(अक्षरे दो हजार रूपये मात्र) राजकोष में जमा कराने, बार कॉउन्सिल तथा बार एसोसिएशन का वांछित प्रमाण प्रत्र प्रस्तुत करने पर नोटेरी प्राधिकार प्रमाण पत्र (certificate of Practice) की वैधता जारी करने की तिथि से पांच वर्ष के लिए होगी।

आज्ञा से,
Sd.
(महावीर प्रसाद शर्मा)
प्रमुख शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. सोलीसिटर जनरल, विधि मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली।
2. निजी सचिव,मा0 विधि मंत्री महोदय, राजस्थान, जयपुर।
3. महालेखाकार, राजस्थान जयपुर।
4. जिला कलेक्टर, टोंक।
5. जिला एवं सैशन न्यायाधीश, टोंक।
6. रजिस्ट्रार जनरल, राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर।
7. रजिस्ट्रार, राजस्व मण्डल, अजमेर।
8. सचिव, राजस्थान विधानसभा, जयपुर।
9. कोषाधिकारी, टोंक।
10. निदेशक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री, केन्द्रीय मुद्राणालय, राजस्थान जयपुर को राजपत्र के विशेषांक में प्रकाशनार्थ।
11. महाधिवक्ता, राजस्थान, जयपुर।
12. अध्यक्ष, बार एसोसिएशन, उनियारा।
13. श्री रामकिशन माली, अधिवक्ता को उनके आवेदन पत्र में अंकित पते पर प्रेषित कर लेख है कि वह चालू वित्तीय वर्ष के लेखा मद 0070–अन्य प्रशासनिक सेवाऐं, 01–न्याय प्रशासन, 501–सेवाऐं एवं सेवा, 01– उच्च न्यायालय, 00– फीस के अन्तर्गत निर्धारित शुल्क राशि 2,000/--रूपये जमा करवाकर चालान की प्रति इस विभाग को भिजवायें। साथ ही यह भी लेख है कि राजस्थान बार कॉउन्सिल, जोधपुर तथा संबंधित अभिभाषक सघं (बार एसोसिएशन) के प्रमाण पत्र निम्नलिखित बिन्दुओं पर पेश करेंः–

(i) वह राजस्थान बार कॉउन्सिल, जोधपुर में अधिवक्ता के रूप में एनरोल्ड है।

(ii) उनके विरूद्ध कोई आचरण संबंधी जांच/शिकायत लम्बित अथवा प्रस्तावित नहीं है।

(iii) वह आवेदित क्षेत्र में निवास एवं स्थानीय न्यायालयों में प्रेक्टिस करते है तथा नोटेरी के रूप में नियुक्त किये जाने हेतु पात्र हैं।

उक्त चालान, राजस्थान बार कॉउन्सिल, जोधपुर तथा संबंधित अभिभाषक संघ के प्रमाण पत्र इस विभाग में प्रस्तुत करने पर ही प्राधिकार प्रमाण पत्र जारी किया जायेगा। आपके विभाग में प्रस्तुत किये गये मैमोरियल (आवेदन पत्र) में अंकित तथ्यों के गलत पाये जाने पर आपकी नियुक्ति निरस्त कर दी जायेगी।

14. प्रोग्रामर, विधि विभाग को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
15. रक्षित पत्रावली।

18/12/18
(मधुसूदन शर्मा)
संयुक्त शासन सचिव

D:\YOGESH CHOUDHARY\notary\33 dist Letter\Tonk.docx